

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

अभ्यर्थी चैकलिस्ट को सावधानी पूर्वक भरकर आवेदन पत्र एवं अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करें।

पदनाम/विषय:-	अनुक्रमांक:-
--------------	--------------

क्र० स०	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अभिलेख/प्रमाणपत्र	पृष्ठ सं०
1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
2.	विस्तृत आवेदन-पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या-02)	
3.	प्रमाणीकरण-प्रपत्र (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या-03)	
4.	देशना-पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या-04)	
5.	हाईस्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र की प्रति।	
6.	इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र की प्रति।	
7.	स्नातक अंक पत्र एवं उपाधि की प्रति।	
8.	स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं उपाधि की प्रति।	
9.	पी-एच.डी./जे.आर.एफ./नेट/सेट से संबंधित उपाधि/प्रमाण-पत्र।	
10.	यदि एम०फिल का दावा किया गया है तो एम०फिल की उपाधि एवं अंक पत्र।	
11.	रिसर्च पब्लिकेशन।	
12.	शिक्षण/पोस्ट डॉक्टरल अनुभव से संबंधित प्रमाण-पत्र।	
13.	अवार्ड से संबंधित प्रमाण-पत्र।	
14.	अधिमानी अर्हता का दावा किया गया (Preferential Qualifications) हो, तो अधिमानी अर्हता से संबंधित प्रमाण-पत्र।	
15.	लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण से संबंधित उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र।	
16.	अनारक्षित श्रेणी में उत्तराखण्ड महिला के क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थियों को स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।	
17.	अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति मूल रूप में/स्वप्रमाणित छायाप्रति।	
18.	यदि अभ्यर्थी के नाम अथवा पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में एकरूपता न हो, तो उक्त के सम्बन्ध में संबंध स्व-घोषणा पत्र।	

* यदि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित औपबन्धिक प्रमाण-पत्र/उपाधि (Provisional Certificate Degree) प्रस्तुत की गयी हो, तो ऐसी उपाधि उसमें उल्लिखित अवधि के अनुसार ही वैध माना जायेगा। यदि वैधता की अवधि अंकित नहीं है, तो प्रस्तुत किए जाने की तिथि को वैध माना जायेगा।

**अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है।

***लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण एवं अधिवास संबंधी समस्त प्रमाण-पत्र, विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। ओ०बी०सी० (OBC) प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 03 वर्ष की पूर्व की अवधि के भीतर निर्गत होना चाहिए। EWS प्रमाण-पत्र ऑनलाइन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 01 वर्ष से अधिक पूर्व का निर्गत नहीं होना चाहिए।

संलग्नकों की संख्या:-

अभ्यर्थी का नाम व हस्ताक्षर दिनांक सहित